(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

**अधिसूचना सं. 61/2023**
**नई दिल्ली, दिनांकः 23 फरवरी, 2024**

**विषयः आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर के लिए आयात अवधि को बढाना।**

**सा.आ.(अ.)** समय–समय पर यथा संषोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेष व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 08.12.2023 की अधिसूचना सं. 50/2023 क्रम में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के तहत आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए आयात नीतिगत षर्त में निम्नानुसार संषोधन करती है–

| आईटीसी (एचएस) कोड और विवरण | मौजूदा नीतिगत षर्त | संषोधित नीतिगत षर्त |
|---|---|---|
| 07131010 -- पीली मटर | क) 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए एमआईपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना आयात 'मुक्त' है। आयात खेपों को जहां 31 मार्च, 2024 के बाद सीमा शुल्क विभाग का 'आउट–ऑफ–चार्ज' जारी किया जाता है उसे 'मुक्त' नहीं माना जाएगा।<br>ख) 1 अप्रैल 2024 से, इस अधिसूचना से पहले मौजूद 'प्रतिबंधित' आयात नीति और संबंधित नीतिगत शर्तें लागू होंगी।<br>ग) इस अवधि के दौरान 31 मार्च 2024 तक पीली मटर के सभी प्रकार के आयात की अनुमति होगी, जो आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होगा। | क) आयात खेप के लिए एमआईपी षर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना आयात 'मुक्त' है जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को अथवा इससे पहले जारी किया गया है।<br>ख) आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के बाद जारी किया गया हो 'प्रतिबंधित' रहेगा और दिनांक 08.12.2023 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 50/2023 से पहले यथा मौजूद संबंधित आयात नीतिगत षर्ते लागू होगी।<br>ग) पीली मटर का सभी आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 30 अप्रैल, 2024 या इससे पहले तिथि का है आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण और लदान बिल की प्रतिलिपी अपलोड करने के आधीन होगा। |

2. आयात निगरानी प्रणाली के तहत पीली मटर की खेप के पूर्व पंजीकरण के संबंध में संषोधित प्रक्रियाएं अलग से अधिसूचित की जाएगी।

**अधिसूचना का प्रभावः** आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर का आयात एमआईपी षर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना सभी आयात खेप जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को या इससे पहले जारी किया गया है के लिए तत्काल प्रभाव से आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के अध्यधीन 'मुक्त' है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
23.2.2024

**(संतोष कुमार सारंगी)**
**महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं**
**पदेन अपर सचिव, भारत सरकार**
**ई–मेल : dgft@nic.in**